




राजस्थान RAJASTHAN

AG 622172

पत्रिका १५ दिनांक १३-०१-२००७ सन्तोष कुमारी
सहक शहयदा खेराव शिक्षा समिति, महका, डप-पंडरी
महका की प्रभावित प्रति प्रमाणित है

१०० रुके दम राब. सं. ५५०
अ. १२ सं. ०० दिनांक १२-५-१७
आदो सं. १००
१०० रुके दम राब. सं. १००
१०० रुके दम राब. सं. १००
१०० रुके दम राब. सं. १००

प्रभारी अधिकारी
जिला अधिलखाता
जलकट्टा दोसा



ॐ

विक्रय विलेख:- 372000/-

मुद्रांक:- 25000/-

मै कि सन्तोष कुमार पुत्र रामजीलाल उम्र 42 वर्ष जाति- ब्राह्मण निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दोसा (राज.) प्रथमपक्ष --बिक्रेता--
बनाम

अध्यक्ष, बबेरवाड शिक्षा समिति, महवा तहसील महवा जिला दोसा (राज0) रजि.क्रमांक 127/दोसा/2002-03 जरिये प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा उम्र 33 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी पाखर चौडाकी तहसील महवा जिला दोसा (राज.)-क्रेता (द्वितीय पक्ष)-

जो कि खसरा नं0 133/0.20, 130/0.50, 132/0.52 स्थित ग्राम रामगढ की तन में तथा मुझ बिक्रेता की सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। उक्त रकबा सड़क एवं आबादी से दूर सिंचित रकबा है। जिसमें अन्य कोई साझीदार अथवा भागीदार नहीं है तथा जो सर्व प्रकार के भार से मुक्त है, जिसे हर प्रकार से हस्तान्तर करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। चूंकि मुझ बिक्रेता को इस समय रुपये की आवश्यकता है अतः घन संख्या 372000/-अक्षरे तीन लाख बहत्तर हजार रुपये प्रचलित मुद्रा में उपरोक्त खसरा नंबर 133/0.20 का सम्पूर्ण भाग एवं 130/0.50, 132/0.52 का 11/102 भाग

....2...

यह है निवासी 1000
बड़ी राधा ।

हस्ताक्षर

छाया प्रतिलिपि

प्रमाणित अधिकारी तहसील
महवा जिला दोसा

49
 शिव रा० 131109
 वंशोत्पन्न शुद्ध 372.6
 प्रतिनिधि शुद्ध 2.14
 कुसी मृदा 17.6
 रा० 8680
 रा० 11/1
 छप पत्रिका
 बहका (दीक्षा)

आज 13/11/09 दिनांक 13-11-09
 को 2.14 रा० 2.3 को लें गये
 की संतोष कुमा (पुत्र श्री रामजी लाल)
 उम्र 42 वर्ष उम्र 10 वर्ष
 निवासी रागा
 ने मेरे सम्पत्ति को लें लिया।
 छप पत्रिका
 बहका (दीक्षा)

Signature



निष्पादक श्री/श्रीमती/शु. संतोष कुमा
 पुत्र/पुत्री/पत्नी की रामजी लाल
 जाति 11/1 रागा को
 मजमून 11/1 लें लिये
 स्वस्थ वित्त में चुक य रागा लें लिया।
 छप पत्रिका मर

Signature



बहका २ निवासी बहका
 बहो पाका 1
 बहका

काया मुक्तिनाथ
 रामजी लाल
 बहका

5000Rs.



-2-

स्थित ग्राम रामगढ को उपरोक्त क्रेता (द्वितीय पक्ष) के हित में विक्रय कर दिया तथा समस्त विक्रय धन रोकड़ी प्राप्त कर विक्रय रकबा पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण आधिपत्य करा दिया। विक्रय रकबा के जो स्वामित्व, स्वत्व एवं अधिकार जो आज तक मुझे प्राप्त हैं, वे समस्त अब द्वितीय पक्ष को उत्पन्न होंगे। भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न हो झगडा चले और मुझ बिक्रेता की स्वामित्व की त्रुटि के कारण विक्रय रकबा द्वितीय पक्ष के आधिपत्य से निकल जावे तो समस्त विक्रय धन मय स्टूह एवं हर्जा खर्चा जो भी द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़े सहित द्वितीय पक्ष मेरी इस तथा अन्य किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब विक्रय रकबा से मुझ बिक्रेता तथा मेरे किसी भी उत्तराधिकारी, दायभागी, स्थानापन्नों का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। क्रेता (द्वितीय पक्ष) को आदेश है कि वह राजस्व विभाग के समस्त पत्रादि में उपरोक्त खसरा नंबर 133/0.20 का सम्पूर्ण भाग की एवं 130/0.50, 132/0.52 का 11/102 भाग की स्थित ग्राम रामगढ की जालेदारी बजाय मुझ बिक्रेता के द्वितीय पक्ष अपने नाम परिवर्तित करवाले।

दि:- ख.नं. 130 व 132 में से विक्रय 11 ऐयर भूमि क्रेता के ख0नं0 134 व 133 से लगी हुई रहेगी।

...3...

सचिव व निवासी 100
वही पास।

[Signature]
सचिव

अध्यापक प्रतिलिपि
अध्यापक प्रतिलिपि
अध्यापक प्रतिलिपि

5000Rs.



-3-

अतएव यह विक्रय पत्र स्वस्थ चित्त, स्थिर बुद्धि तथा इन्द्रियों की ठीक-ठीक अवस्था में 25000/- रु० के स्टाम्प पर द्वितीय पक्ष के खर्च पर एवं दोनों पक्षों के कथनानुसार लिख दिया कि प्रमाण रहे।

लेख तिथि :- दिनांक 13 दिसम्बर सन् 2008

लेखक :- मदन मोहन दीक्षित, प्रलेख लेखक, महवा ला० नं० 35

होतीलाल निवासी

मदन मोहन दीक्षित

हस्ताक्षर विक्रेता

साक्षी :-

होतीलाल निवासी पुत्र श्री राधेश्याम उम्र 48 वर्ष
जाति - जाटगढ़ निवासी - रामगढ़

साक्षी :- *भूपेन्द्र सिंह*

भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बन्धु राखेंड उम्र 42 वर्ष
जाति - राजपूत निवासी - रामगढ़

छाया प्रतिलिपि

बयान आसपास के तथ्य
बालगढ़ बाजार

यह है निवासी का
वही राखेंड

h

बालगढ़

भा. दिनांक 13 भा. 1 भा. 2009
 की पुस्तक संख्या 1 जिला संख्या 1
 क्रम संख्या 123 भा. 123 भा. 123
 पुस्तक संख्या 1 जिला संख्या 1
 123 पर पंजीयत किया गया।
 लघु पंजीयक
 महारा (दोसा)

लघु पंजीयक
 लघु पाका।
 लघु

लघु पंजीयक
 लघु पंजीयक
 लघु पंजीयक